रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस० एम० 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 17 अप्रैल, 1998/27 चैत्र, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-2, 28 मार्च, 1998

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 91/94.—यह कि श्री प्यार सिंह, प्रधान (नि०) ग्राम पंचायत कपाही विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी को उपायुक्त मण्डी द्वारा उनके आदेश संख्या पी० सी० एच०-एम० एन० डी०-ए० (5) 92/90-1465-1470 दिनांक 20-6-96 को राशि के दुरूपयोग, छलहरण अनियमितताओं के आरोपों में संलिप्तता पाये जाने के कारण निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी करने के उपरान्त दिनांक 26-12-97 को उनका उत्तर आंकने पर उन्हें पद से निलम्बित किया गया।

यह कि श्री प्यार सिंह, प्रधान (नि०) ग्राम पंचायत कपाही, विकास खण्ड सुन्दरनगर निम्न राशियों के छलहरण, दुरूपयोग, अनियमितताओं जैसे आरोपों में संलिप्त हैं :—

1. यह कि विकास खण्ड अधिकारी सुन्दरनगर ने ग्राम पंचायत कपाही को 9.89 क्विंटल गेहूं बाजारी मूल्य 3263.70/- रुपये तथा 7.25 क्विंटल चावल मूल्य 3168.25 रुपये कुल मूल्य 6437.95 रुपये खाद्यान्न सामग्री प्राथमिक पाठशाला कपाही के निर्माण हेतु दी गई थी। ग्राम पंचायत के रोकड़ अनुसार मूल्य 6437/- रुपये का व्यय मस्ट्रोलों द्वारा दर्शाया गया है जबकि उक्त खाद्यानों का कोई भी इन्द्राज रिकार्ड

अनुसार नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि प्रधान (नि0) को मु0 6437.95 रुपये की राशि के दुरूपयोग का दोषी पाया गया है।

2. यह कि प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 7 क्विंटल गेहूं व 5 क्विंटल चावल मु0 5070.00 रुपये तथा 11506/- रुपये की अनुदान नकदी के रूप में डोहवा पुली, डोहर पुली व ब्रेड पुली पर व्यय हेतु स्वीकृत की गई थी। खाद्यान सामग्री का इन्द्राज स्टाक रजिस्टर के पृष्ठ-29 पर दर्ज पाया गया है तथा डोडवां पुली, डोडर पुली व ब्रेड पुली पर जो व्यय दर्शाया गया है वह नकद अनुदान से सम्बन्धित है तथा खाद्यान सामग्री का कोई इन्द्राज रोकड़ में दर्ज नहीं किया गया है। विदित है कि उक्त प्रधान खाद्यान सामग्री (मु0 5070.00) रुपये के दुरूपयोग में संलिप्त पाये गए हैं।

3. यह कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित विकास कार्यों ब्रेड पुली निर्माण पर वर्ष 1993-94 में 1778 रुपये रोकड़ बही में दर्ज हैं परन्तु मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 24-8-94 को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर मौका परद 6'-3" व्यास का आर0 सी0 सी0 पाईप नाले में रखा पाया जा कि स्थानीय जनता द्वारा स्वयं सुन्दरनगर कमेटी से लाया बताया है। इस प्रकार इस मद पर 1778/- रुपये का फर्जी व्यय डालकर उक्त प्रधान को मु0 1778/- रुपये के घेरे से बाहर नहीं रखा जा सकता।

4. यह कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित विकास कार्यों डोडवां पुली निर्माण पर वर्ष 1993-94 में 2832/- रुपये रोकड़ बही में दर्ज हैं जबकि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 24-8-94 को मूल्यांकन करन पर कुल लागत 1659/- रूपये आंके गये हैं। इस प्रकार मु0 1173/- रूपये का फर्जी व्यय रोकड़ बही में उक्त प्रधान द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार मु0 1173/- रुपये की राशि के अपहरण में उनकी संलिप्तता पाई गई है।

5. और यह कि डोडर पुली निर्माण पर वर्ष 1993-94 में मु0 2633/- रुपये व 1994-95 में मु0 5811/- रुपये का व्यय रोकड़ में दर्ज पाया गया जबकि मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। प्रधान ग्राम पंचायत कपाही द्वारा मौका पर बताया गया कि इस कार्य हेतु एक ट्राली रेत तथा दो ट्राली बजरी कपाही सड़क पर फेंकी थी लेकिन मौके पर कोई भी सामान नहीं पाया गया। इस प्रकार निर्माण कार्य पर मु0 8444/- रुपये का फर्जी व्यय डाल कर राशि का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

6. और यह कि भारत की जनवादी नौजवान सभा के उपाध्यक्ष राज्य इकाई हिमाचल प्रदेश ने आरोप लगाया है कि श्री प्यार सिंह, प्रधान (नि0) ने गत अवधि में दिनांक 1-11-95 को जिला कल्याण अधिकारी मण्डी से मु0 3750/- रुपये वार्ड डोडर में विकास कार्य हेतु प्राप्त किए जिसका पंचायत क रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार उक्त श्री प्यार सिंह द्वारा मु0 3750/- रुपये की राशि क दुरूपयोग/अपहरण में संलिप्तता पाई गई है।

उपरोक्त वर्णित आरोपों में मामले की वास्तविकता जानने व पूर्ण तथ्यों को सामने लाने के लिए सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत नियमित जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रदत्त हैं, का प्रयोग करत हुए श्री प्यार सिंह, प्रधान (नि0) ग्राम पंचायत कपाही, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी के उपरोक्त वर्णित आरोपों की वास्तविकता जानने हतु जिला पंचायत अधिकारी मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने तथा पंचायत निरीक्षक सुन्दरनगर को इस मामले में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करन के सहर्ष आदेश प्रदान करती हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 1 अप्रैल, 1998

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 91/94-3552-59.—यह कि श्री प्यार सिंह प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत कपाही, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी को उपायुक्त, मण्डी द्वारा उनके आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-12704-09, दिनांक 26-12-1997 द्वारा निलम्बित किया गया है । जिसकी पुष्टि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(3) के अन्तर्गत सरकार के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)91/94, दिनांक 20-2-98 को की गई ।

यह कि सरकार द्वारा उक्त श्री प्यार सिंह प्रधान (निलम्बित) के विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत निष्कासन हतु नियमित जांच के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 91/94, दिनांक 28-3-98 को जारी कर दिए गए हैं ।

उक्त श्री प्यार सिंह के प्रतिवेदन तथा आरोपों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 146 के अन्तर्गत आदेशित कार्यवाही के दृष्टिगत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नियमित जांच के आदेशों के होते हुए तथा सम्बन्धित रिकार्ड की पहुंच से श्री प्यार सिंह को अलग रख कर इनका निलम्बन जारी रखना आवश्यक नहीं है ।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उपायुक्त, मण्डी द्वारा जारी उपरोक्त निलम्बन आदेश दिनांक 26-12-97 तथा सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 20-2-98 द्वारा जारी पुष्टि आदेशों को पुन: विचार उपरान्त जनहित में तुरन्त निरस्त करने के आदेश करती हैं तथा इनके विरुद्ध नियुक्त नियमित जांच एक माह के भीतर पूर्ण करने के आदेश करती हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।